सुश्री जसलीन कौर, क्वार्ट्ज एवं फेल्डसपार माईन्स, पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई दिनांक 05.06.2025 प्रातः 11.00 AM बजे, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम–गुड़ली, तहसील–गिर्वा (कुराबड़), जिला–उदयपुर

यह जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आम सूचना राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 03.05.2025 एवं स्थानीय समाचार पत्र प्रातःकाल में दिनांक 03.05.2025 को प्रकाशित करवा दी गई है।

यह जनसुनवाई **"सुश्री जसलीन कौर"** द्वारा प्रस्तावित **क्वार्ट्ज एवं फेल्डसपार** खनन परियोजना **(एम एल नं. 41/2023** (लीज क्षेत्र 3.1297 हैक्टेयर) क्लस्टर के अन्तर्गत सभी खनन पट्टो को शामिल करते हुए कुल क्लस्टर क्षेत्र 33.9364 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 37,33,285 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्ट्ज एवं फेल्डसपार उत्पादन क्षमता 2,22,222 TPA, निकट ग्राम-गुड़ली, तहसील–गिर्वा (कुराबड़), जिला–उदयपुर स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रू. 120 लाख है।

अतः उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुन तत्पश्चात् आपको यदि इसके बाबत् कोई सुझाव/शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमें आप अपना नाम तथा गांव का नाम बताए साथ ही अपना सुझाव/शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझें हमें दे सकते हैं।

इस जनसुवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी.डी./डी.वी.डी. के अनुरूप कार्यवृत तैयार किए जायेंगे जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर को प्रेषित करेंगे क्योंकि इस इकाई को सन्दर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 26.06.2024 को इस कमेटी द्वारा जारी की है एवं उसमें वर्णित समस्त शर्तो की उद्योग द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्ष्मता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

तहसीलदार कुराबड़
जिला उदयपुर (राज.)

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रशासन उदयपुर

लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के खान मालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (परिशिष्ठ "अ" में सलंग्न) है।

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा उक्त इकाई के संबन्ध में तैयार की गई ई.आइ.ए रिपोर्ट, कार्यकारी सारांश की विस्तृत जानकारी दी गई जो की संलग्नक ''ब''के अनुसार है।

कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री कुंज बिहारी पालीवाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखने हेतु आंमत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार हैः–

श्री पन्ना लाल जी मीणा, निवासी गुडली, उदयपुर :–

मैं आपसे पुछना चाहता हूँ। यहां क्या करने के लिए आए हो। वो कहाँ तक सही बात है। हम चाहते है अपनी जमीन हम खुद बचाना चाहते है। आपकी सुविधा हमें कुछ भी नही चाहिए। हमें सिर्फ अपनी जमीन चाहिए। इस जमीन के लिए हमारे बाप–दादाओं नें जिदंगी खत्म कर दी है। आज आप कह रहे हो जमीन की खुदाई करेंगे। ऐसा कभी नही होगा और वहां पर खुदाई करने का जो आपका मानस है। वो कतई अभी चेंज कर दो। वरना हमारें 500–1000 घर की आबादी है उस आबादी को कुचल कर जाना पड़ेगा आपको। वरना आप वहाँ खुदाई नही कर पाओगें। पहले भी दो माईन्सें आई थी वहाँ पर भी हमने विरोध किया था और वो भी बंद करवाई और यहाँ पर भी हम है। आंदोलित है। हम सब जने ग्रामवासी कम आए है। काम की वजह से बाकी आपका पुरजोर विरोध करेंगे और हमारे मोहल्ले मे हम खनन कतई नही करने देंगे और साहब भी बैठे हुए है सामने आज पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण को बचाना हमारा फर्ज भी है खुदाई कराना हमारा फर्ज नही है। हमारी जमीन हम खुद बचाएंगे। अगर गवरमेन्ट हमे सपोर्ट करेंगी नही तो हम मर कर भी जमीन बचाने के लिए तैयार है। हमारी जमीन में खुदाई हमें कतई पंसद नही है और हम करने भी नही देगें। आपको जिसने भी यह लीज दी है। आज से कैंसल कर दो। वरना वहाँ जा नही पाओगें आप। वहां पर खुदाई किसी भी हालत में नही होगी। धन्यवाद।

श्री वीरा राम जी निवासी गुड़लीः–

आप इस जमीन पे खनन करोगे हम इस बात से बिल्कुल सहमत नही है। नही खोदने देंगे और बिल्कुल नही जलस्तर नीचे चला जाएगा और हम इसको नही खोदने देगें। अगर आप ऐसा खोदोगे तो हम आपके खिलाफ विरोध करेंगे। जिसकी स्वयं जिम्मेदारी आपकी रहेगी। जय हिन्द।

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

तहसीलदार कुराबड़
जिला उदयपुर (राज.)

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रशासन उदयपुर

श्री सोगत जी, निवासी गुडली:–

मैं निवेदन करता हूँ। हमारे गांव में बाप–दादा 50 साल उम्र से पहले से रह रहे है और हमारे उन्होंने न कभी खाते करी है मवेशिया फल सब्जियां 500 लोगों की आबादी है यहां पर और मवेशिया हमेशा जितने भी है तो हमारे मवेशी का क्या होगा और गरीब है पब्लिक है इनको बोलना नहीं आता आए दिन माईन आती है पर हमने मना किया इसी वजह से हम लोग मरने के लिए तैयार है गाड़ी के नीचे घुस के मर जाएंगे घिसट जाएंगे और जमीन खोदने नही देंगे हम और हम गरीब है आप सब लोगों से निवेदन है यह काम रोका जाए धन्यवाद।

श्री हीरा लाल जी, निवासी गुड़ली:–

इस जमीन के बारे में हमारे खनन नहीं होने चाहिए आप बंद कर दीजिए खनन से पानी का लेवल रुक जाएगा और पब्लिक आने जाने का रास्ता खत्म हो जाएगा इस बात से यह खनन बंद कर दो।

श्री रूपा लाल जी, निवासी गुडली :–

हमारे बकरी, गाय, भैंस चरने की जमीन नहीं देंगे और दुख है साहब जय हिंद।

श्री तुलाराम जी, निवासी गुडली :–

आप बाहर से पधारे हुए हैं अतिथि गण सर जो बात बताई जा रही है खनन का कार्य किया जाएगा हम किसी का प्रशासन का विरोध नहीं करते प्रशासन का विरोध करते सर से निवेदन है कि हमारा गांव गुडली में कितनी आबादी कितनी जमीन पर बसी हुई है यह तो पहले बताएं हमें आज से हजारों साल पहले हमारा आदिवासी बसा हुआ है वहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं है खेत पूरे में मकान बने हुए हैं और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है वहां पर तब तक प्रशासन ने देखा नहीं अब तक क्यों नहीं इसके बारे में भी जानकारी मिले हमें कि आपकी जमीन है खेती बावड़ी कुए भी है और वह आज भी उनके खाते नहीं है अरे खाते तो बात दूर है 91 भी दर्ज नहीं है ऐसा क्यों है इतने साल पहले बात तो यह भी होनी चाहिए सर हमें बताएं इन लोगों को यहां पर बताएंगे कैसे क्या करेंगे और उनके पास तो ना तो कागज है रिकॉर्ड आज आप जबरदस्ती कर सकते हो तो उनके पास प्रमाण भी नहीं है हमारे साथ में आज भी कई वर्षों से ऐसा होता रहा और आज भी इस बस्ती में जो अपनी बस्ती की बात कर रहे हैं जो भी है यह जमीन है ऐसी जमीन है जो उनको खुद को पता नहीं कहा बिराजे हुए हैं और कौन सी जमीन हमारे खाते हैं मैं मेरी बात करता हू गांव की बात करता हू मेरे खुद के भी पता नहीं हमारी जमीन कहां पर है और आज लोग प्रशासन से यही विनती करते हैं की सबसे

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

तहसीलदार कुराबड़
जिला उदयपुर (राज.)

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रशासन उदयपुर

पहले आप हमारे पास में जो भी जमीन है उनको आप व्यवस्थित तरीके से सुपुर्द करें उसके बाद में उस पर कोई विचार करें धन्यवाद।

श्री पन्ना लाल जी मीणा, निवासी गुड़ली:–

यहां जो बैठे हुए सभी लोग इसके बारे में आप कृपा करके हमारा गलत उपयोग न करें गलत तो हमारे साथ वैसे हो रहा है आप जो दिल्ली में बैठकर जयपुर में बैठकर हमारी ऐसी तैसी कर रहे हो हमें क्या पता है आप हमारे सामने उपस्थिति ले रहे हो हम यह चाहते हैं हमारे साथ अन्याय ना हो रिकॉर्डिंग हो रही है मैं आपसे निवेदन करता हूं क्या अपने गांव वालों में से राय पूछी थी क्या ग्राम पंचायत से एनओसी ली है या लेनी है सर आपसे निवेदन है आप हमारा सहयोग करो और इस माइंस की लीज होने वाली या हो रही है उसका पूरजोर हम विरोध करते हैं और हमारे को आपकी कोई सुविधा नहीं चाहिए आप जो माइंस वालों ने ग्रामीण के आसपास में या गुडली छोड़कर जिस गांव में खनन कर रहे हो उसे गांव की हालत देख लो वह नरक में जिंदा है आसपास में सुलावास पंचायत में देख लो वहां पर इतना बड़ा खड्डा कर दिया है वह लोग जिंदगी भर उसमें आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी वह खड्डा नहीं भर पाएंगे जितनी भी रोड है जगत के इधर माइंस चल रही है जिधर भी चल रही है रोड़ों की हालत देख लो आज आमजन का जाना मुश्किल हो गया है यहां बम्बोरा से आगे माईन्से चल रही है केवल गुडली को छोड़कर हम पहले भी विरोध मे थे आज भी विरोध में और आगे भी रहेंगे कोई दबाव नहीं है हमारा विरोध है आप इस माईन्स को स्वतः बदलाव कर लो, बदल दो ठीक रहेगा आपके लिए भी ठीक रहेगा हमारे लिए भी हम विरोध करेंगे 101 परसेंट विरोध करेंगे हमारे ग्रामीण हजार जनों की आबादी है हमारे पूर्वजों ने जिंदगी खफा दी है उसे जमीन को बचाने के लिए उसे पत्थर को बचाने के लिए आपने ए.सी. रूम में बैठे थे हमारी ऐसी तैसी करने के लिए गांव में आकर खुदाई करने के लिए ऐसा कतई नहीं होगा और बिल्कुल हम इसके विरोध में है।

श्री शंकरलाल पटेल, निवासी गुड़ली :–

जो आज बैठक हुई है उसमें आपने कोई सरपंच को सूचना दी है आपकी जो मीटिंग है उसके बारे में बताएं मुझे।

श्री कुंज बिहारी पालीवाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

इसका जो प्रोसीजर है जो इन्होंने आवेदन किया हमने कलेक्टर साहब को लेटर लिखा उन्होंने तिथि नियत की उसकी सूचना पेपर में निकाल दी सूचना है तभी तो आप लोग आए बताएं ना आप लोग अगर सूचना नहीं होती तो आप लोग कैसे आते देखीए वह जो प्रोसीजर है

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

तहसीलदार कुराबड़
जिला उदयपुर (राज.)

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रशासन उदयपुर

जनसुनवाई का एक प्रोसीजर होता है देखिए आप बोलने के लिए स्वतंत्र है आप कुछ भी कर सकते हैं उसका मैं क्या कर सकता हू बताइए आप।

श्रीमती कमला बाई, निवासी गुडली:–

कहा रहे, हम कहा जाये फिर।

श्रीमती नवलीबाई, निवासी गुडली :–

हमें माईन्स नहीं चाहिए।

श्रीमती गोमती बाई, निवासी गुडली :–

हमें माइस नहीं चाहिए हमारी गाय भैंस कहां जाएगी हम कहां जाएंगे मजदूरी कहा करेंगे जंगल है तो चारा होगा बकरी, भैंस, चारा चरेगी, मारेंगे क्या हमे मोटा--मोटा डंपर आएगा, तो बच्चे बच्ची कहां जाएंगे, पानी टूट जाएगा, मारेंगे क्या रोड़ नहीं जंगल है हमारे तो।

श्रीमती रोड़ी बाई, गुडली सरपंच :–

हमारा सब कुछ मवेशी है चरेगें कहॉ मवेशी फिर।

श्री कुंज बिहारी पालीवाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

जो आपने जो बताया है वह जैसा का तैसा फॉरवर्ड कर देंगे निरस्त करना या देना दोनो हमारे हाथ में नहीं है मतलब मैं आपको स्पष्ट कर दू ना तो हम उनके पक्ष में निर्णय ले सकते हैं ना आपके पक्ष में निर्णय ले सकते हैं हम केवल आपने बोला है उसके मिनिट्स बनाकर आगे भेज देंगे।

श्री वीरा राम जी निवासी गुड़ली:–

ऐसे बताओ राजस्थान सरकार को पावर है या भारत सरकार को निरस्त करने की।

श्री कुंज बिहारी पालीवाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

इनको जो माईन्स की एलओआई ईशु हुई है, सबसे पहले ऑक्शन हुई, उसमें इन्होंने खरीदी, फिर इनको मंशा पत्र जारी किया की सरकार के द्वारा यहाँ आप माइंस लगा सकते है फिर इनको बोला गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति लेके आए तो इनके द्वारा पर्यावरण स्वीकृति के लिए अब आवेदन किया गया यहां आपने जो भी बोला है उसके मिनिट्स बनाके हम सरकार को भेज देंगे हम केवल जो आपने बोला है उसी ही को हम लिख सकते हैं।

तहसीलदार कुराबड़
जिला उदयपुर (राज.)

C.S.

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रशासन उदयपुर

श्री बजेन्द्र सिंह राठौड़, तहसीलदार, तहसील–कुराबड़, उदयपुर :–

जो भी आपने बोला है वह नोट कर दिया है जैसा आपनें बोला है वैसा का वैसा लिखा है और भी आपको किसी को कुछ पूछना है आप सब की बातें एक जैसी ही है आपको यहां पर माइंस नही चाहिए, सभी विरोध में है पीने के लिए पानी नहीं होगा आपकी जमीन खराब हो जाएगी आपके खुद के पीने के लिए पानी नहीं होगा यह सब बड़ी चीज है आपने बोली है यह सारी चीज नोट हो गई है हम सरकार को भेज देंगे इसके अलावा भी आप कुछ बोलना चाहते बोल सकते हैं।

श्री हेमाजी, निवासी गुडली :–

हमें माइंस नही चाहिए, हम सबको गड्डा करके गड्डे में डाल दो। इसलिए हम सब इकट्ठा हुए है।

श्री बजेन्द्र सिंह राठौड़, तहसीलदार, तहसील–कुराबड़, उदयपुर :–

जो मांग है आपकी गुडली में माइनस ओपन होने जा रही है आपको लोगों को समस्या है वह बताओ आप अपने समस्या बता दी यह समस्या यह नोट हो गई है वहां पर सरकार निर्णय लेगी की रखनी है या नहीं रखती है ओपन करना या नहीं करना है एनवायरमेंट क्लीयरेंस का सर्टिफिकेट देना है या नहीं देना जो भी निर्णय होगा आपको पता चल जाएगा यहां पर हम लोग इसलिए आए है कि आपकी दिक्कत क्या है नोट करें सरकार को बताएं होगा या नहीं होगा वह सरकार के ऊपर है बता देंगे उसके बाद भी आपकी जो प्रॉब्लम है कलेक्टर साहब, एसडीएम मैडम के सामने रख सकते हैं इसके बाद जो भी शिकायत हो मेरे पास हो या सरकार के प्रतिनिधि उसको कर सकते हो सॉल्यूशन हमेशा ऊपर से आता है क्या करना क्या नहीं करना है हमारे लेवल पर कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है की माइंस खोलनी है या नहीं खोलनी है एक बार वहां से आर्डर आ जाता है की माइंस खुलेगी या नहीं खुलेगी इसको निरस्त भी सरकारी ही कर सकती है और ओपन भी मोटी–मोटी इसकी कहानी यही है और भी कोई भी समस्या दूसरी माइंस यहां चल रही वह भी वहां बोल सकते हैं कभी भी आप आ सकते तहसील भी आ सकते है धन्यवाद।

श्री कुंज बिहारी पालीवाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपो को जनसुनवाई के कार्यवृत में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो रिकॉर्डिंग सी.डी (**परिशिष्ठ "स"** में सलंग्न) एवं फोटोग्राफ (**परिशिष्ठ "द"** में सलंग्न) के साथ उन्हे राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

तहसीलदार कुराबड़
जिला उदयपुर (राज.)

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रशासन उदयपुर

बाद श्री कुंज बिहारी पालीवाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी महोदय ने श्री बजेन्द्र सिंह राठौड़, तहसीलदार, तहसील--कुराबड़, उदयपुर को इस जनसुनवाई को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(बजेन्द्र सिंह राठौड़)
तहसीलदार
तहसील-कुराबड़, जिला-उदयपुर

तहसीलदार कुराबड़
जिला उदयपुर (राज.)

(कुंज बिहारी पालीवाल)
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी,
रा.प्र.नि.म., उदयपुर

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

C.S

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रशासन उदयपुर

सुश्री जसलीन कौर, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार (एम एल नं. 41/2023, क्षैत्रफल– 3.1297 हैक्टेयर) प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 37,33,285 **TPA (ROM)** एवं प्रस्तावित क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार उत्पादन क्षमता 2,22,222 **TPA**, निकट ग्राम– गुड़ली, तहसील–गिर्वा (कुराबड़), जिला–उदयपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत् दिनांक 05.06.2025 को प्रातः 11.00 AM बजे, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम–गुड़ली, तहसील–गिर्वा (कुराबड़), जिला–उदयपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगणः–

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	Brijendra Singh Rathore	TDR, Kurabad	[illegible]
2	Kunj Bihari Paliwal	SSO, RSPCB, Udaipur	[illegible]
3	Gopal Krishna Meghwal	NTDR, Kurabad	[illegible]
4	Mahendra kumar [illegible]	[illegible] gudli	[illegible]
5	रोड़ी बाई (सरपंच)	gudli	
6	[illegible]		रोड़ी
7	C.P. Jeengar	RPCB, Udr	[illegible]
8	[illegible]	उदयपुर [illegible]	[illegible]
9	Kulwinder Singh	H.No18 [illegible] Yamuna Nagar	[illegible]
10	धीरज औदिच्य	Revenue Department	[illegible]
11	[illegible] मल नागदा	कुराबड़	[illegible]
12	[illegible]	पर्यावरण [illegible]	[illegible]
13	रोड़ी बाई	गुड़ली	
14	जमना मेघवाल (आशा)	गुड़ली	जमना
15	रम्भा मेघवाल कार्यकर्ता	गुड़ली	रम्भा
16	पुष्पादेवी मेघवाल (आशा)	म0 15 [illegible]	पुष्पादेवी
17	शान्ती	मालाकड़िया	शान्ती
18	गोमी	मालाकड़िया	गोमी
19			
20			
21			

फला सरेरा को थानाधिकारी उम्मेदी लाल के निर्देशन में कालूलाल चौहाण, सहायक उप निरीक्षक व टीम द्वारा तलाश कर दबिश देकर गिरफ्तार किया। न्यायालय खेरवाड़ा में पेश किया जहां से न्यायिक हिरासत में डूंगरपुर जेल भेजा गया।

दहेज प्रताड़ना का प्रकरण दर्ज

नवज्योति/खेरवाड़ा। उपखंड नयागांव के पहाड़ा थाना क्षेत्र में प्रियंका पत्नी विपिन कुमार डामोर निवासी बरोठी ब्राह्मणान थाना बावलवाड़ा हाल निवास पिता रमेश चंद्र मीणा निवासी डामोर वाड़ा ने गुरुवार देर शाम प्रकरण दर्ज कराया कि उसके पति विपिन पुत्र बंशीलाल डामोर निवासी बरोठी ब्राह्मणान द्वारा प्रार्थिया को प्रताड़ित कर मारपीट करते हुए दहेज की मांग कर घर से निकाल दिया गया। दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाने की वजह से मजबूरन प्रियंका को अपने पीहर में रहना पड़ रहा है। पहाडा थाना अधिकारी उम्मेदी लाल द्वारा प्रकरण दर्ज कर दहेज प्रताड़ना की विभिन्न धाराओं के तहत अनुसंधान किया जा रहा है।

4 माह से तीन मोटरें खराब

गुड़ली। टंकी मे पानी चढ़ाने की सीआरडब्लू मोटर खराब हो जाने से गुड़ली मे आठ दिन से जलापूर्ति ठप पड़ी है। जलदाय विभाग एवं ग्राम पंचायत की अनदेखी से 16 साल पुरानी मोटर तीन माह में तीसरी बार खराब हो चुकी है। अतिरिक्त मोटर नहीं होने से 10 से 15 दिन तक जल आपूर्ति ठप हो जाती है, जिससे ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ता है। जब जब भी मोटर खराब हुई पानी की सप्लाई बाधित हुई है फिर भी जलदाय विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वर्तमान में मोटर खराब होने से 8 दिन से नलों में पानी नहीं आया है। इसके चलते चिलचिलाती धूप और गर्मी में ग्रामीणों को पानी के लिए दूर-दूर तक भटकना पड़ रहा है। कई ग्रामीण करीब 1 किलोमीटर दूर गमेती बस्ती के पनघट से पानी लाकर अपनी प्यास

कि गांव की बोरवैल मे प

की घोर लापरवाही के च

खराब पड़ी होने से गांव

जा रहा था। सूचना करने

को अभी तक ठीक नहीं

पानी के लिए सक्रिय नह

की ओर से भी किसी प्र

इनका कहना है...

मुझे पानी की समस

दिखवाता हूं।

भूल सुधार

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगर परिषद सलूम्बर जिला उदयपुर की लोक सूचना क्रमांक 171 दिनांक 30.04.2025 के अंक में दिनांक 01.05.2025 को प्रकाशन हुई जिसमें लोक सूचना में कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन (CNG पम्प) के स्थान पर (आवासीय) एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका फतहनगर सनवाड़ के स्थान पर आयुक्त नगर परिषद पढ़ा जावें (वि.)

पीटीईटी के लिए अब 5 तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

नवज्योति/राशमी। राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दो वर्षीय बीएड (पीटीईटी) के आवेदन की अंतिम तिथि 5 मई तक बढ़ा दी गई है। तिथि बढ़ने के साथ ही आवेदन से वंचित रहे अभ्यर्थी को यह अंतिम अवसर दिया गया है।

कार्यालय नगरपालिका मावली, जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक : न.पा.मा./2023-24/35 दिनांक : 29-04-2025

उजरदारी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नगरपालिका क्षेत्र में स्थित स्वयं के पुश्तैनी//खरीदशुदा मकान/भूखण्ड की निर्माण स्वीकृति चाही है। इस बाबत इनके मालिकाना हक संबंधी अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो उजरदारी की सूचना प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी आपत्ति मय दस्तावेज के नगरपालिका कार्यालय में दर्ज करा सकते है। बाद मियाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी तथा निर्माण स्वीकृति जारी किये जाने संबंधी अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

क्र. सं.	आवेदनकर्ता का नाम	कॉलोनी मोहल्ला	स्थित मकान के पड़ौस				क्षेत्रफल वर्गफीट
			पूर्व	पश्चिम	उतर	दक्षिण	
1	श्री भैरुलाल गुर्जर पिता श्री छगनलाल जी गुर्जर निवासी गोविन्दपुरा गोलवाडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर	नाकोडा नगर परमात्मा मोअर्स के पास, मावली	भूखण्ड संख्या 23 बी	भूखण्ड संख्या 24	आम रास्ता 25 फीट	रास्ता	1560 वर्गफीट

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका भीण्डर

DNU 352107

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफः 470,यू.सी.सी.आई. भवन के पास,मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादडी, उदयपुर (राज.)

ई-मेलः rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं. - 0294.2491269

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषयः- सुश्री जसलीन कौर, एम.एल.न. 41/2023 (क्षैत्रफल 3.1297 हैक्टेयर) 'क्वाट्र्ज एवं फैल्डसपार', ग्राम-गुड़ली, तहसील-गिर्वा (कुराबड़), जिला-उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सुश्री जसलीन कौर, एम.एल.न. 41/2023 (क्षैत्रफल 3.1297 हैक्टेयर) 'क्वाट्र्ज एवं फैल्डसपार'। ग्राम-गुड़ली, तहसील-गिर्वा (कुराबड़), जिला-उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वाट्र्ज एवं फैल्डसपार माईन (एम.एल.न. 41/2023, क्षैत्रफल 3.1297 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 2,22,222 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।
2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है ।
3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नाकिंत कार्यालयों पर उपलब्ध हैः-
   1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर।
   2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय - 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुँगरी, जयपुर।
   4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.)
   5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।
   6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील-गिर्वा (कुराबड़), जिला-उदयपुर।
   7) सरपंच, ग्राम- गुड़ली, तहसील-गिर्वा (कुराबड़), जिला-उदयपुर।
   8) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
   9) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड औद्यौगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 05.06.2025 (गुरूवार) को प्रातः 11:00 बजे, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम-गुड़ली, तहसील-गिर्वा (कुराबड़), जिला-उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर मे भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

क्षैत्रीय अधिकारी

DNU 352131

भाजपा के लसाड़िया, भबरा मंडल की कार्यकारिण

ब्यूरो नवज्योति/उदयपुर।

भाजपा देहात जिला अध्यक्ष पुष्कर तेली के नेतृत्व में लसाडिया, भबराना एवं ओगणा मंडल की कार्यकारिणी की घोषणा की है।

लसाडिया मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह झाला द्वारा घोषित कार्यकारिणी में

उपाध्यक्ष रतनलाल डांगी, विक्रम सिंह, लालू राम मीणा, देवली बाई मीणा, धनराज मीणा, भेरूलाल मीणा, महामंत्री महावीर लालावत, लालू राम मीणा,

मंत्री लालू राम डांगी, जितेंद्र डांगी, विक्रम सिंह देवड़ा, लाल जी महाराज, गजेंद्र चौधरी, कानू मीणा, कोषाध्यक्ष प्रिंस कुमार जैन मनोनीत हुए। इसी प्रकार भबराना मंडल अध्यक्ष भवानी सिंह चौहान द्वारा घोषित कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष ऊंकार

मीणा, विष्णुकुंवर

मदन सिंह, भेरूल

गोपावत, मुकेश

शांति देवी मीणा,

राम सिंह, देवी सि

शर्मा मनोनीत हुए

ओगणा मंड

घोषित कार्यकारि

तोलाराम मेघवाल

सिंह सोलंकी, कृ

गरासिया, महामंत्री

सेन, मंत्री करण सि

सीता देवी गरासि

शेर सिंह सोलंकी

मनोनीत हुए।

चावण्ड में 65 बीघा चराग

नवज्योति/सराड़ा। सराड़ा उपखंड क्षेत्र में ग्राम चावण्ड में 65 बीघा चरागाह से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।

सराड़ा उपखंड अधिकारी निलेश कलाल एवं सराड़ा तहसीलदार आस्थारानी बामनिया के निर्देश पर नायब तहसीलदार सराड़ा रमेशचन्द्र ननोमा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। तहसीलदार कोर्ट से अतिक्रमण के कुल 13 प्रकरण का फेसला होने पर चावण्ड की चरागाह के 65 बीघा क्षेत्र पर कच्ची कोट, थुर की बाड़ लगाकर किए गए अतिक्रमण को 2 जेसीबी की सहायता से 5 घंटे तक की कार्रवाई में हटाया गया।

मौके पर अंबालाल मीणा, आरआई महेन्द्र मीणा, मावालाल मीणा, समील्लाह खान, पटवारी अशोक मीणा, सूरजमल मीणा, कमलेन्द्र सिंह, ग्राम विकास अधिकारी विमला कटारा चावण्ड, जय नारायण मीणा, पुलिस थाना सराड़ा से कांस्टेबल देवी सिंह एवं भूपेन्द्र सिंह उपस्थित रहे।

सराड़ा। जेसीबी से चाव

विदाई दी। इस दौरान जिला कलेक्टर नमित मेहता और एसपी योगेश गोयल ने भी पुष्प चक्र अर्पित किए। सेवाइल की ओर से भी डॉ. व्यास को रीति-रिवाज के अनुसार आखिरी सलामी देकर विदाई दी।

इसके साथ ही डॉ. व्यास कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं और अन्य दलों के नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। दोपहर करीब 4 बजे उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी अर्थी को कंधा दिया और कुछ दूर तक गहलोत कंधा देते हुए साथ चले। इस दौरान कार्यकर्ता डॉ गिरिजा व्यास अमर रहे के नारे लगा रहे थे। इसके बाद डॉ. व्यास के पार्थिव देह को मोक्ष रथ में रखा और डॉ. व्यास की पार्थिव देह अपनी अंतिम यात्रा के लिए रवाना हुई। उनकी अंतिम यात्रा दैत्य मंगरी से शुरू होकर चेटक सर्कल, कोर्ट चौराहा, शास्त्री सर्कल होते हुए अशोक नगर स्थित श्मशान घाट पर पहुंची, जहां पर चिता सजाकर उस पर

जहां पर उनका उपचार चल रहा था। पिछले एक माह से वे आईसीयू में भर्ती थी, जिन्होंने गुरूवार शाम को दम तोड़ दिया।

2018 में अंतिम चुनाव लडा था डॉ व्यास ने

मेवाड़ में कांग्रेस को मजबूत करने वाली डॉ. गिरिजा व्यास मेवाड़ में चित्तौड़ और उदयपुर से कई चुनाव लड़ चुकी है। डॉ व्यास ने वर्ष 2018 में अंतिम चुनाव लडा था, लेकिन वे भाजपा के कद्दावर नेता रहे गुलाबचंद कटारिया से हारी थी। हालांकि कटारिया भी दो बार गिरिजा व्यास से चुनाव हार चुके है।

लम्बे समय से दूर थी कार्यक्रमों से

डॉ गिरिजा व्यास लम्बे समय से बीमार चल रही थी और उनका स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा था। वे कार्यक्रमों में जाती जरूर थी पर कुछ देर रूककर पुनः निकल जाती थी। बाद में धीरे-धीरे उन्होंने कार्यक्रमों में जाना ही बंद कर दिया था और घर पर ही आराम कर रही थी।

राजीव गांधी के निधन क
में गई और केंद्र में मंत्री बनीं।
मिला था। उस समय दूरदर्शन
उन्होंने पूरे देश को दूरदर्शन से
और एचपीटी टावर लगाए थे।

इंदिरा के कहने पर मुझे चुनाव लड़वा

उदयपुर के पूर्व विधायक
व्यास पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गां
उन्हें उदयपुर से विधानसभा चु
दिन ही गिरिजा ने कहा कि पू
इस चुनाव में तो 15 साल से मे
और जाजम उठाने वाले को मौव
नाम इंदिरा को दिया और 197
और जितवा दिया।

मां-बेटे के साथ मारपीट कर किया घायल

उदयपुर. नगर संवाददाता | जिले के सायरा थाना खेत्र एक महिला ने दो महिलाओं और दो पुरूषों ने खिलाफ उसके घर में घुसकर उसके पुत्र व उसके साथ मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार प्रतापी बाई पत्नी कनाराम मेघवाल निवासी ढोल सायरा ने मामला दर्ज करवाया कि 1 मई को 2 बजे वह घर पर ही थी कि छोगालाल पुत्र वेणीराम, प्रकाश पुत्र मोहन निवासी पुनावली, टमुबाई पत्नी छोगालाल व टिंकू पत्नी प्रकाश मेघवाल निवासी ढोल सभी उसके घर पर आए व आते ही पुत्र बाबूलाल के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। वह छुडाने गई तो उसके साथ भी मारपीट की। ये लोग पूर्व मे भी इनके साथ मारपीट कर चुके है।

पूर्व महापौर डांगी व गिरिजा के घर गई राजे, दी श्रद्

उदयपुर. नगर संवाददाता | पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे उदयपुर में शुक्रवार को पूर्व महापौर रजनी डांगी के घर शोक व्यक्त करने गई। पूर्व महापौर डांगी के पति वीरेन्द्र डांगी के निधन पर शोक व्यक्त करने गई थी, इसके बाद वसुंधरा देर शाम गिरिजा व्यास के आवास पर पहुंचकर उनकी तस्वीर पर पुष्प चढ़ा श्रद्धांजलि अर्पित की।

एयरपोर्ट पर पूर्व सीएम व व गहलोत की मुलाका

उदयपुर के डबोक स्थित महाराणा प्रताप
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलो
हुई। तब वीआईपी लाउंज में कांग्रेस प्रदेश
नेता प्रतिपक्ष जूली आदि नेता भी थे।

भीम BHIM

LiFE Lifestyle for Environment

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ : 470, यू.सी.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)

ई-मेल : rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं. : 0294-2491269

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय :- सुश्री जसलीन कौर, एम.एल.न. 41/2023 (क्षेत्रफल 3.1297 हैक्टेयर) "क्वार्ट्ज एवं फैल्डसपार", ग्राम- गुड़ली, तहसील- गिर्वा (कुराबड़), जिला- उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सुश्री जसलीन कौर, एम.एल.न. 41/2023 (क्षेत्रफल 3.1297 हैक्टेयर) "क्वार्ट्ज एवं फैल्डसपार", ग्राम-गुड़ली, तहसील-गिर्वा (कुराबड़), जिला उदयपुर प्रस्तावित परियोजना "क्वार्ट्ज एवं फैल्डसपार" माईन (एम.एल.न. 41/2023 क्षेत्रफल 3.1297 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 2,22,222 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।

2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है- 1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर, 2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय - 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर, 3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर, 4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.), 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर, 6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील-गिर्वा (कुराबड़), जिला- उदयपुर, 7) सरपंच, ग्राम- गुड़ली, तहसील-गिर्वा (कुराबड़), जिला- उदयपुर, 8) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर, 9) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 05.06.2025 (गुरुवार) को प्रातः 11:00 बजे, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम- गुड़ली, तहसील- गिर्वा (कुराबड़), जिला- उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/ आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/ आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

आरपीएस आंचलिया को लेकर

हाईकोर्ट की टिप्पणियों का निर्णय के गुणावगुण पर नह

उदयपुर. नगर संवाददाता | आरपीएस अधिकारी जितेन्द्र आंचलिया की मुश्किले थमने का नाम नहीं ले रहे है। राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से गत दिनों आंचलिया को लेकर दिए गए आदेश पर उच्चतम न्यायालय ने दिए आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां ट्रायल कोर्ट के निर्णय को प्रभावित नहीं करेगी।

आरपीएस अधिकारी जितेन्द्र आंचलिया के खिलाफ एसीबी न्यायालय में रिश्वत का प्रकरण चल रहा है। इसको लेकर पूर्व में राजस्थान

हाईकोर्ट ने आंचलिया क
दे थी, हालांकि राजस्थ
आंचलिया के खि
एफआईआर को खारि
इंकार कर दिया था।
एनआरआई नीरज पूर्बि
कोर्ट में याचिका पेश क
डीवाईएसपी जितेंद्र
अन्य से जुड़े 1.83 क
घूसकांड मामले में राज
जोधपुर के 20 फरव
आदेश को चुनौती
उच्चतम न्यायालय के
मित्तल और एसवीएन